

मांग संख्या 13
मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

राज्य में उर्वरक व्यवसाय हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 871.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 8,71,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना अंतर्गत राशि रूपये 118.85 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,18,85,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 3867.25 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 38,67,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु राशि रूपये 175.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

सहायक यंत्री कार्यालय, कवर्धा को 2 नग नवीन डोजर उपलब्ध कराने हेतु राशि रूपये 120.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

मिनी राईस मिल, पावर टिलर, शक्ति चलित, हस्त चलित एवं बैल चलित (ट्रैक्टर को छोड़कर) कृषि यंत्रों पर राज्य शासन द्वारा 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान हेतु राशि रूपये 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

नये उद्यानों एवं पौध शालाओं की स्थापना योजनांतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 1.55 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,55,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6401

मद क्रमांक 8

राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु प्रदायकों को अग्रिम भुगतान, परिवहन तथा भंडारण व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 3000.00 लाख का ऋण दिया जाना है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।